



(02)

तदनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं कदाचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

कलेक्टर दुर्ग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार श्री महेन्द्र कुमार जांगड़े, प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग अपने कार्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Digitally signed by  
Satya Narayan Rathore  
Date: 01-06-2026  
11:29:08

आयुक्त,  
दुर्ग संभाग, दुर्ग.

पृ.क्र. / 112 / आयुक्त / स्थापना / 2026  
प्रतिलिपि:-

दुर्ग, दिनांक 01/06/2026

- 1/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.) को उनके पत्र क्रमांक/3409/स्था/2026 दिनांक 30.05.2026 के तारतम्य में सूचनार्थ।
- 3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5/ श्री महेन्द्र कुमार जांगड़े, प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को पालनार्थ।
- 6/ जिला कोषालय अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ।
- 7/ श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, (निलंबित) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग (छ.ग.) को पालनार्थ।